राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4114/2024

हरि नारायण यादव

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
3. पवन मीना, अधिशाषी अधिकारी कार्यालय नगरपालिका रींगस (सीकर)।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक :– 02.01.2025

समक्ष :–अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अभिभाषक श्री मिथुन चतुर्वेदी उपस्थित।
2. अपीलार्थी ने इस अपील में अपने स्थानांतरण आदेश दिनांक 13.10.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण/पदस्थापन अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रींगस से अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका गोविन्दगढ़, अलवर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपील के लम्बित रहने के दौरान अपीलार्थी ने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया है, परंतु अपीलार्थी अपने पदस्थापन के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता हैं, क्योंकि अपीलार्थी का स्थानांतरण नियम विरूद्ध तरीके से किया गया है।
3. हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया है, ऐसे में अपीलार्थी की यह अपील सारहीन हो जाती है। अतः अपीलार्थी की अपील इस आदेश के साथ निस्तारित की जाती है कि अपीलार्थी अपने पदस्थापन/स्थानांतरण के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगा, जिसका निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग नियमानुसार 1 माह में करें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)